



Neutral Citation No. - 2026:AHC:10288-DB

आरक्षित तिथि :- 18.12.2025

प्रदत्त तिथि :- 14.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 264 / 2023

मुदस्सिर

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: अथर्व दीक्षित, मनोज कुमार दुबे, मनोज कुमार राय, मोहम्मद फैसल खान, राजीव लोचन शुक्ला

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता: अंबरीन मसरूर, सरकारी अधिवक्ता, प्रखर सरन श्रीवास्तव, सदरुल इस्लाम जाफरी

कक्ष में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ,

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. हमने अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनीष तिवारी, के सहायक विद्वान अधिवक्ता श्री अथर्व दीक्षित, एवं सूचनादाता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एनआई जाफरी के सहायक विद्वान अधिवक्ता श्री नुशरा सिद्दीकी और श्री विवेक मिश्रा को एवं राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान एजीए-प्रथम श्रीमती मंजू ठाकुर की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यह जमानत याचिका अपीलकर्ता-आवेदक मुदस्सिर की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें सत्र परीक्षण संख्या 731/2007, मामला अपराध संख्या 06/2007, धारा 147, 148, 302, 149

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भा.द.सं., थाना- काकरौली, जिला- मुजफ्फरनगर में इस अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 01.07.2007 को सूचनादाता और उसका बेटा, जान मोहम्मद मस्जिद में नमाज अदा करने गए थे। दोपहर लगभग 2:00 बजे, जब वे मस्जिद से अपने घर के लिए निकलने ही वाले थे, तभी उनके ही गांव के मुकर्रम और भूरा उर्फ मुदस्सिर (कलीम बख्श का बेटा) और जावेद राइफलों से लैस होकर और शैदा हसन और मुनव्वर देसी पिस्तौलों से लैस होकर मस्जिद में घुस आए। इन लोगों की सूचनादाता से पुरानी दुश्मनी थी। शैदा हसन ने अपने साथियों को जान मोहम्मद को खत्म करने के लिए उकसाया और सभी आरोपियों ने जान मोहम्मद पर गोलियां चला दीं। गोली लगने से जान मोहम्मद गिर पड़ा। सूचनादाता और उसके भाई इस्लाम ने जान मोहम्मद को बचाने की कोशिश की, तभी आरोपियों ने उन पर गोलियां चला दीं। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। यह घटना सूचनादाता, उसके भाई इस्लाम, इस्लाम के बेटे सरफराज, फजुल और मस्जिद में नमाज अदा करने आए कई अन्य लोगों ने देखी। जान मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले की एफआईआर पूर्व-निर्धारित थी क्योंकि इसे घटना के एक घंटे दस मिनट के भीतर दर्ज किया गया था; अभियोजन पक्ष कथित अपराध के पीछे किसी भी उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा; घटना स्थल अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं किया गया क्योंकि मस्जिद के अंदर गोलीबारी के कोई निशान नहीं मिले और मस्जिद में मौजूद किसी भी स्वतंत्र गवाह की निचली अदालत के समक्ष जांच नहीं की गई; अपीलकर्ता से कथित रूप से बरामद हथियारों की एफएसएल रिपोर्ट विफल रही और इसलिए उसे शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है; गवाह संख्या 1 और गवाह संख्या 2 बाल-बाल बच गए और इसलिए अपीलकर्ता को भा.द.सं. की धारा 307/149 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया; अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता संख्या 1 के पिता मजूर हसन को लगी गंभीर चोट का स्पष्टीकरण देने में विफल रहा और निचली अदालत ने घटना के क्रॉस-वर्जन पर विचार नहीं किया। गवाह संख्या 3, सब इंस्पेक्टर इंद्रपाल सिंह के बयान में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में और इलाके में रहने वाले लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी। कुछ लोगों ने बताया कि गोलीबारी पहले मृतक शाहनवाज की तरफ से हुई थी, जबकि कुछ अन्य लोगों का बयान अलग था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ता मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर था और वर्तमान मामले के अलावा, उस पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 2007 का एक मामला दर्ज है, जो पहले ही समाप्त हो चुका है। वह 17.11.2022 को निचली अदालत के फैसले के बाद से जेल में है।

5. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया, लेकिन वे अपीलकर्ता की ओर से दिए गए तर्कों का खंडन करने में सक्षम नहीं रहे।

6. माननीय अटॉर्नी जनरल ने आवेदक-अपीलकर्ता की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया, लेकिन अपीलकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

7. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि इस न्यायालय के समक्ष प्रतिदिन दो सौ से अधिक आपराधिक अपीलें सूचीबद्ध हैं और सभी का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना मानवीय रूप से संभव नहीं है, निकट भविष्य में इस अपील की सुनवाई की संभावना बहुत कम है, अतः आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

8. उपरोक्त अपराध में दोषी ठहराए गए और सजा पाए आवेदक-अपीलकर्ता को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

9. इस अपील के लंबित रहने के दौरान आवेदक-अपीलकर्ता को दी गई सजा भी निलंबित रहेगी।

10. आवेदक-अपीलकर्ता जमानत पर रहते हुए इस न्यायालय की अनुमति के बिना अपने नाम पर किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण, विक्रय, हस्तांतरण या उस पर कोई प्रभार नहीं बना सकता है।

11. व्यक्तिगत और जमानत बांड प्रस्तुत होते ही, संबंधित न्यायालय द्वारा उनकी फोटोकॉपी तुरंत इस न्यायालय को अभिलेख में रखने हेतु भेजी जाए।

12. अपीलकर्ता-आवेदक को जेल से रिहाई की तारीख से एक माह के भीतर जुर्माने का 50% जमा करने का निर्देश दिया जाता है। शेष 50% जुर्माना आपराधिक अपील के लंबित रहने तक स्थगित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि जुर्माना ऊपर निर्दिष्ट समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है, तो उसे कानून के अनुसार वसूल किया जाएगा।

आपराधिक अपील पर आदेश

14. निचली अदालत का अभिलेख प्राप्त हो गया है।

15. कार्यालय को छह सप्ताह के भीतर पेपर बुक तैयार करवाने का निर्देश दिया जाता है।

16. इस अपील को उचित समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।

14 जनवरी, 2026

रोहित

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I,) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।